न्यायालय सहायक कलैक्टर एवं. उपखण्ड अधिकारी संगरिया

पीठासीन अधिकारी: रकेश कुमांर मीना(आर.ए.एस.)
राजस्व वाद : बाबत इस्तकरार हक,खाता तकसीम
नम्बर मुकदमा – 292 / 2023 निर्णय दिनांकः– 16.04.2024

सन्दीप कुमार पुत्र श्योपतराम जाति जाट सा. बोलांवाली तह. संगरिया जिला हनुमानगढ

– वादी

बनाम

1 हंसराज पुत्र श्रीराम जाति जाट सा. बोलांवाली तह. संगरिया जिला हनुमानगढ
2 अशोक कुमार पुत्र श्योपतराम जाति जाट सा. बोलांवाली तह. संगरिया जिला हनुमानगढ
3 तहसीलदार (राजस्व) संगरिया तह. संगरिया

प्रतिवादीगण

उपस्थित
श्री नक्षत्र सिह सिद्धू – अधिवक्ता वादी
श्री गुरमीत सिह कलसी – अधिवक्ता प्रति स. 1 व 2

निर्णय

उक्त अनुवानी वाद पत्र वादी की तरफ से जरिए वकील उक्त तथ्यों के आधार पर पेश किया गया कि वादी के नाम चक 9 ए.एम.पी. खाता स. 101/85 खाता अशोक कुमार वगैरा ज.स. 2071–74 में साझा खाता में आराजी दर्ज है। उक्त खाता की नकल जमाबन्दी संलग्न वाद पत्र है।वादी व प्रति स. 1 व 2 एक ही परिवार के सदस्य है। उक्त खाता की कुल 4.048 है0 आराजी वादी के हक हिंस्सा व कब्जा की है। जिसमें से प्रति स. 1 व 2 ने अन्य चको व खातो में वाद स. 343/2018 दावा अनवानी सन्दीप कुमार वगैरा बनाम अशोक कुमार वगैरा निर्णय दिनांक 28/12/2022 द्वारा अदालत हाजा से अलग कायम करवा लिया है। जिसमें प.न. 155/159 मु.न. 47 किला न. 1 ता 10 का खाता वादी का भी अलग हो गया है।चुकि पुर्ववर्ती वाद प्राथमिक डिक्री हुआ था।लेकिन पटवारी हल्का व तहसीलदार राजस्व संगरिया द्वारा भेजे गये विभाजन प्रस्ताव चक 9 ए.एम.पी. प.न. 156/159 मु.न. 46 किला न.1 ता 3 व 8 ता 10 कुल 1.518 है0 आराजी विभाजन प्रस्ताव में दर्ज होने से रह गई।जबकि उक्त आराजी वादी के ही हक हिस्सा व कब्जा की है। शेष आराजी का राजस्व रिकार्ड में अंकन वादी व अन्य [illegible] रिकार्ड में दर्ज हो चुका है।फोटोप्रति अन्तिम डिक्री बअनवानी [illegible] वगैरा बनाम अशोक कुमार वगैरा वाद [illegible] 2018 [illegible] 28/12/2022 संलग्न वाद पत्र है। अतः चक 9 ए.एम.पी. खाता स[illegible]/85 खाता अशोक कुमार वगैरा के कुल खाता 1.518 है0 आराजी का वादी ही खातेदार काश्तकार है इसमें सांझा खाता के अन्य सहहिस्सेदारान [illegible] हक हिस्सा व कब्जा नही है। अतः वादी उक्त खाता की कुल 1.518 है0 आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित करवाकर अपना खाता अलग करवाने का अधिकारी व दावेदार है।वादी दावा की दफा 3 के अनुसार काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। व इसी अनुसार अपना खाता अलग कायम करवाना चाहते

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2024.04.26 11:34:32 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

है। कब्जाकाश्त बाबत कोई विवाद नही है। लेकिन उक्त आराजी उक्तानुसार वादी के नाम दर्ज नही होने के कारण वादी के खातेदारी अधिकारों पर बुरा प्रभाव पडता है । इसलिए वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा इस बाबत निवेदन किया किन्तु वे पहले तो वे टालमटोल करते रहे लेकिन पिछले सप्ताह वे वादी के इस निवेदन से स्पष्ट इंकारी हो गये । बस यही विनाय दावा है।अतः चक 9 ए.एम.पी. खाता स. 101/85 खाता अशोक कुमार वगैरा ज.स. 2071–74 की कुल 1.518 है0 आराजी का वादी खातेदार काश्तकार है। इसमें प्रति स. 1 व 2 का कोई हक व हिस्सा तथा कब्जा नही है। अतः उक्त आराजी राजस्व रिकार्ड में वादी के नाम दर्ज की जाकर उक्त खाता से प्रति स. 1 व 2 का नाम कलमजन किया जावे।

उक्त वाद पेश होने पर तथा सीगेदार की रिर्पोट होने के बाद दावा दर्ज रजिस्टर किया गया तथा प्रतिवादीगण की तलबी हेतु सम्मन जारी किये गये।प्रति स. 1 व 2 की ओर से श्री गुरमीत सिंह कलसी ने वकालतनामा मय सहमति का जवाब दावा पेश किया।प्रति स. 2 की तलबी प्रति स. 3 की ओर से जवाब स्टेट पेश किया गया। साक्ष्य वादी में वादी सन्दीप कुमार का शपथ पत्र अन्तर्गत आदेश 18 नियम 4 सी.पी.सी. पेश किया गया। जो शामिल मिसल है।

बहस अभिभाषकगण सुनी गई। वादी अभिभाषक ने बहस में कथन किया कि चक 9 ए.एम.पी. खाता स. 101/85 खाता अशोक कुमार वगैरा ज.स. 2071–74 की कुल 1.518 है0 आराजी का वादी खातेदार काश्तकार है। इसमें प्रति स. 1 व 2 का कोई हक व हिस्सा तथा कब्जा नही है। अतः उक्त आराजी राजस्व रिकार्ड में वादी के नाम दर्ज की जाकर उक्त खाता से प्रति स. 1 व 2 का नाम कलमजन किया जावे।प्रतिस. 1 व 2 ने सहमति का जवाब दावा पेश किया है। अभिभाषक प्रतिवादी स.1 व 2 ने वादी के वाद का कोई विरोध नही किया। वादी के वाद का कोई विरोध नही है।

बहस पर मनन किया गया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। नकल फोटोप्रति चक 9 ए.एम.पी. खाता स. 101/85 खाता अशोक कुमार वगैरा ज.स. 2071–74 पेश है। जो कि प्रदर्श 1 है।वादी के वाद पत्र का कोई विरोध हमारे समक्ष नही आया है। वाद पत्र का कोई विरोध नही होने से सहमती के आधार पर मुताबिक अनुतोष डिकी किया जाना उचित प्रतीत होता है।

क्रियात्मक आदेश

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वाद वादी डिकी किया जाता है कि चक 9 ए.एम.पी. खाता स. 101/85 खाता अशोक कुमार वगैरा ज.स. 2071–74 की कुल 1.518 है0 आराजी का वादी खातेदार काश्तकार है। इसमें प्रति स. 1 व 2 का कोई हक व हिस्सा तथा कब्जा नही है। अतः उक्त आराजी राजस्व रिकार्ड में वादी के नाम दर्ज की जाकर उक्त खाता से प्रति स. 1 व 2 का नाम कलमजन किया जावे।

निज......X...... मुब्लिक......X...... बाबत......X...... खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फिसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक ......X...... को अदा करें।

बसबत मेरे दस्तखत व मोहर अदालत .... 26.4.2024 को जारी की गई।

नोटः– यदि हक हिस्सा प्रभावित नही .... के अलावा डिकीत दावे के अन्य पक्षकारो का अमल दरामद ....

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2024.04.26 11:34:32 IST
Reason: SelfAttested

(राकेश कुमार मीना)
सहायक कलैक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

Web Copy - Not Official

डिक्री एंव मुकदमे ईबादाई
(ओ.20 रूल 6–7 जाबता दीवानी)

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,संगरिया

सन्दीप कुमार पुत्र श्योपतराम जाति जाट सा. बोलांवाली तह. संगरिया जिला हनुमानगढ

– वादी

बनाम

1 हंसराज पुत्र श्रीराम जाति जाट सा. बोलांवाली तह. संगरिया जिला हनुमानगढ
2 अशोक कुमार पुत्र श्योपतराम जाति जाट सा. बोलांवाली तह. संगरिया जिला हनुमानगढ
3 तहसीलदार (राजस्व) संगरिया तह. संगरिया

प्रतिवादीगण

उपस्थित
श्री नक्षत्र सिह सिद्दू – अधिवक्ता वादी
श्री गुरमीत सिह कलसी – अधिवक्ता प्रति स. 1 व 2

मु. स. 292/2023 दावा अर्न्तगत धारा 88/53 आर.टी.ए.

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रोबरू हमारे बहाजरी श्री नक्षत्र सिह सिद्दू एड. वादी व श्री गुरमीत सिह कलसी एड. प्रति स. 1 व 2 पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वाद वादी डिक्री किया जाता है कि चक 9 ए.एम.पी. खाता स. 101/85 खाता अशोक कुमार वगैरा ज.स. 2071–74 की कुल 1.518 है0 आराजी का वादी खातेदार काश्तकार है। इसमें प्रति स. 1 व 2 का कोई हक व हिस्सा तथा कब्जा नही है। अतः उक्त आराजी राजस्व रिकार्ड में वादी के नाम दर्ज की जाकर उक्त खाता से प्रति स. 1 व 2 का नाम कलमजन किया जावे।

निज......X...... मुब्लिक......X...... बाबत......100/-......खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फिसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक .... को अदा करें।

बसबत मेरे दस्तखत व मोहर अदालत से आज दिनांक......16.4.2023...... को जारी की गई।

नोटः– यदि हक हिस्सा प्रभावित नहीं हो तो [illegible] के अलावा डिक्रीत दावे के अन्य पक्षकारों का अमल [illegible] दिया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2024.04.26 11:34:32 IST
Reason: SelfAttested

(राकेश कुमार मीना)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया